न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

1–अपील संख्या 15/2017 .

मीरा पत्नी सुन्दरलाल जाति कुम्हार निवासी 4 डी. डब्लयू.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ––अपीलार्थी

बनाम

1. ईशर पुत्र रतना जाति नायक निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. चिरंजीलाल पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी चक 5 एस.जी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. रामलाल पुत्र रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
5. सरपंच ग्राम पंचायत बीरमाना पंचायत समिति सूरतगढ।
6. उप पंजीयक राजियासर तहसील सूरतगढ। ––रेस्पोंडेन्ट्स

2–अपील संख्या 16/2017 .

सरवती पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार निवासी 4 डी. डब्लयू.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ––अपीलार्थी

बनाम

1. ईशर पुत्र रतना जाति नायक निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. चिरंजीलाल पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी चक 5 एस.जी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. रामलाल पुत्र रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
5. सरपंच ग्राम पंचायत बीरमाना पंचायत समिति सूरतगढ।
6. उप पंजीयक राजियासर तहसील सूरतगढ। ––रेस्पोंडेन्ट्स

3–अपील संख्या 29/2017 .

सरस्वती पत्नी बृजलाल जाति कुम्हार निवासी 4 डी. डब्लयू.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. ईशर पुत्र रतना जाति नायक निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. चिरंजीलाल पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी चक 5 एस.जी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. रामलाल पुत्र रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
5. सरपंच ग्राम पंचायत बीरमाना पंचायत समिति सूरतगढ।
6. उप पंजीयक राजियासर तहसील सूरतगढ। ––रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू–रा.अ.1956
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ
दिनांक 27.04.2016 एवं 30.06.2016

उपस्थितिः–

श्री राकेश मनचन्दा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सुभाष चन्द अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 3
श्री भगवानदत्त शर्मा रेस्पों. सं. 5
श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष दिनांक 12.05.2014 को एक प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 4 डी.डब्ल्यू.एम. के प.नं. 157/62 के कि. नं. 11, 12, 19 से 25, 16 व पं. नं. 157/39 के कि.नं. 1, 2, 10 ,11, 3 से 9 , 12 से 25 की कुल 35.10 बीघा भूमि का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया है। प्रार्थी किश्तों की राशि जमा करवाना चाहता है। अतः किश्तें जमा

करवायी जाकर रकबा बहाल किया जावे। प्रा.पत्र पेश होने पर पटवारी हल्का एवं नायब तहसीलदार राजियासर से रिपोर्ट प्राप्त कर तहसीलदार सूरतगढ ने दिनांक 06.08.2014 को उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी जिस पर दिनांक 27.04.2016 को पत्रावली कायम कर उक्त भूमि की बकाया किश्तें मय ब्याज जमा कराये जाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील सं. 15/17, 16/17 पेश की गई। तत्पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने दिनांक 03.06.2016 को जारी कर दी जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील सं. 29/17 पेश की गई।

तीनों ही अपीलों में विवादित भूमि एक होने से उभयपक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण द्वारा अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि में से 1.189है. भूमि आबादी हेतु ग्राम पंचायत बीरमाना हो आवंटित होते हुए भी रेस्पों. सं. 1 से समस्त भूमि की किश्तों की राशि जमा करवाने के आदेश देकर रकबा बहाल किया गया है एवं खातेदारी सनद भी जारी कर दी। ग्राम पंचायत द्वारा आगे पट्टे जारी किये हुए हैं तथा मौके पर आबादी बसी हुई है। अधी. न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका की रिपोर्ट नहीं ली गई एवं न ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलार्थी ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपीलें पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपीलें पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं। अतः अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाकर उक्त अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि किश्तों के अभाव में खारिज थी। रेस्पों. सं. 1 द्वारा किश्तों की राशि जमा करवाने का प्रा.पत्र पेश करने पर सम्बन्धित से रिपोर्ट प्राप्त कर किश्तों की राशि जमा करवाने के आदेश दिये जो उचित है। किश्तों की राशि जमा होने पर अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2016 को खातेदारी सनद जारी कर दी। ऐसी स्थिति में तीनों ही अपीलें खारिज योग्य होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तीनों ही अपीलों में अपीलार्थी द्वारा अपील पेश करने की अनमति बाबत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया है इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा अपील में बिजली के बिलों की फोटो प्रति, पटटों की फोटो प्रति पेश की है। अधी. न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलें पेश करने की अनुमति दी जाती है।

आदेश दिनांक 27.04.2016 के विरूद्ध अपील सं. 15/17, 16/17 दिनांक 01.03.2017 को एवं अपील सं. 29/17 आदेश दिनांक 03.06.2016 के विरूद्ध दिनांक 08.03.2017 को इस न्यायालय में पेश हुई है जिसके अपीलार्थी द्वारा प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं, उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलें पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपीलें अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है जैसाकि उपर विवेचित किया जा चुका है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर अधिक टिप्पणी न करते हुए तीनों ही अपीलें स्वीकार आदेश दिनांक 27.04.2016 एवं 03.06.2016

निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधी. न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि उभयपक्ष एवं सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर